कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in Telefax- 0135-2442052

पत्रांक संख्या– 1566 / 12–1 दिनांक 18 / 12 / 2023

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
नरेन्द्रनगर।

विषय :– जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत दिऊली–गुजराड़ा मोटरमार्ग लम्बाई 4.500 किमी० हेतु 3.255 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन । (FP/UK/ROAD/155324/2022)

सन्दर्भ :– भारत सरकार का पत्रांक–08बी० / यू०सी०पी० / 06 / 22 / 2023 / एफ०सी० / 1055, दिनांक 16–11–2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण की सशर्त सैद्वान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है, जिसके क्रम में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, द्वारा उनके पत्रांक–1086/12-1 दिनांक–02.12.2023 से जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति के अनुपालन में निम्नलिखित शर्तें अधिरोपित कर निम्नानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है :–

शर्त संख्या–01 यदि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र आरक्षित वन है तो उसका अधिसूचना (Notification) भी अनुपालन आख्या के साथ संलग्न किया जाये।

शर्त संख्या–02 उपरोक्त के अतिरिक्त इस आशय का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाना भी अपेक्षित है कि प्रस्ताव में स्वीकृत समरेखण में ही वृक्षों का पातन एवं स्वीकृत समरेखण में मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है।

शर्त संख्या–03 यदि अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्तावक विभाग को Working permission दे दी गयी है तो उसकी प्रति भी उपलब्ध करायें।

शर्त संख्या–04 प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक–1269 / P.O दिनांक 10.06.2022 द्वारा जारी पत्र में उल्लेखित बिन्दु सं0–01 के अनुपालन में यह सुनिश्चित करें कि ये क्षेत्र जब सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वन विभाग के पक्ष में दाखिल खारिज किये जाते हैं तो उस आदेश में यह स्पष्ट इंगित हो कि प्रश्नगत सिविल क्षेत्र का रकवा कितना है तथा उसमें से कितना क्षेत्र वन विभाग के पक्ष में दाखिल खारिज किया जा रहा है एवं यह क्षेत्र पूर्व में किसी अन्य योजना में अथवा वन संरक्षण अधिनियम–1980 के अन्तर्गत पूर्व में गठित प्रस्ताव में नहीं दिया गया है।

इसके अतिरिक्त से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा जारी प्रश्नगत प्रकरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित निम्नलिखित शर्तों की डिमांड अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

1– **शर्त संख्या–01** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जायेगी।

2– **शर्त संख्या–02** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग को सौंपे जाने के पश्चात ही वन भूमि सौंपी जायेगी।

3– **शर्त संख्या–3.(क)** के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 6.510 हे० ग्राम–दिऊली की सिविल सोयम भूमि (खसरा संख्या–1667,1861) में **प्रतिपूरक वनीकरण हेतु मु०–29,21,629.00 धनराशि जमा करनी होगी।** जहाँ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जायेगा तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिये। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी, द्वारा प्रस्तुत किया जाना होगा।

वसूली वर्ष 2023–24 हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु धनराशि का विवरण :–

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी भूमि –	3.255 X 2 =6.510 हे०
क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति हे०–	4,48,791.00 प्रति हे०
क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि–	6.510 X 4,48,791.00 =29,21,629.00 रू. मात्र

4– शर्त संख्या–3.(ख) के अनुपालन में गैर वानिकी भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जायेगा तथा भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं नोटिफिकेशन करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ0सी0ए0, 1980 की गाईडलाईन के पैरा–2.4(i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु उक्त प्रस्ताव में प्रस्तावित किये गये है, को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करवाया जायेगा तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

5– शर्त संख्या–3.(ग) के अनुपालन प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाइल, सी0ए0 क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेन्ट एरिया, ट्रीटमेन्ट क्षेत्र और डब्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीनवॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

6– **शर्त संख्या–04** के अनुपालन में प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना के भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिये प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

7– शर्त संख्या–05(क) के अनुपालन में एन0पी0बी0 के रूप में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा **3.255 हे0 हेतु @ 10,05,210.00 प्रति हे0 की दर से मु0 3,271,959.00 की धनराशि जमा करनी होगी।** एन0पी0वी0 की मांग का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :–

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

"प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश संख्या–F.No. 5–3/2011–एफ0सी0 Vol-1(i) दिनांक 06–01–2022 मे उल्लेखित व्यवस्था के अनुसार आवंटित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है" :–

ईको–क्लास श्रेणी–	V
हरियाली का घनत्व–	0.30 OF
एन0पी0वी की दर प्रति हे0–	मु0 10,05,210.00 **(दस लाख पांच हजार दो सौ दस रूपये मात्र)**
आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल–	3.255 हे0
कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि–	3.255 हे0 X 10,05,210.00 = **3,271,959.00**

8– शर्त संख्या– 05 (ख) के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

9– शर्त संख्या–06 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाली वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 201 वृक्षों एवं 54 sapling से अधिक नही होगी का कटान/पातन किया जायेगा एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।

10– शर्त संख्या–07 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गाईडलाईन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेश की प्रति भारत सरकार को प्रेषित की जायेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नही की जायेगी। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

11– शर्त संख्या–08 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य धनराशि क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में हस्तान्तरित/जमा की जाने वाली धनराशि केवल ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) के माध्यम से ही मान्य होगी।

12– **शर्त संख्या–09** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण–पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

13– **शर्त संख्या–10** के अनुपालन में नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (Mature Plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

14– **शर्त संख्या–11** के अनुपालन में वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नही बदलेंगे। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

15– **शर्त संख्या–12** के अनुपालन में नोडल अधिकारी, State CAMPA यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

16– **शर्त संख्या–13** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करना होगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

17– **शर्त संख्या–14** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जायेगा। इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

18– **शर्त संख्या–15** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

19– **बिन्दु संख्या–16** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा। जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।

20– **शर्त संख्या–17** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिल्लर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

21– **शर्त संख्या–18** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

22– **बिन्दु संख्या–19** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।

23– **शर्त संख्या–20** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी।

24– **शर्त संख्या–21** के अनुपालन में इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 का उल्लघंन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की दिशा निर्देश फाईल सं0– 11–42/2017– FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

25– **शर्त संख्या–22** के अनुपालन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एंव वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

26. **शर्त संख्या–23** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्व निर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलबे का निस्तारण किया जायेगा कि व अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे तथा वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लगात पर उपयुक्त प्रजाति के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलबे को यथास्थान रखने हेतु दिवारे बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को वन विभाग को सौपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजना अनुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

27– शर्त संख्या–24 के अनुपालन में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता ऐजेन्सी की जिम्मेदारी होगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

28– शर्त संख्या–25 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) पर भी अपलोड की जानी होगी।

संलग्न– सैद्धांतिक स्वीकृति की प्रति।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्याः– 1566 / 12-1 दिनांकित

प्रतिलिपि :– वन क्षेत्राधिकारी, शिवपुरी राजि को उपरोक्तानुसार पत्र की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही कि वन विभाग से सम्बन्धित समस्त बिन्दुओं की अनुपालन आख्या प्रयोक्ता अभिकरण को उपलब्ध कराते हुए एक प्रति इस कार्यालय को उप प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।